63
24

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी– दिनांक : .01.2013

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र कमांक मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी–577 दिनांक 20.07.2012 द्वारा विभाग में उपयोग में लिये जाने वाले स्टील के संबंध में इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा जारी मोर्थ स्पेसिफिकेशन के सेक्शन 1009.3 के अनुसार केवल मुख्य उत्पादक यथा स्टील आर्थोरिटी ऑफ इण्डिया लि० (सेल), टाटा स्टील, राष्ट्रीय इस्पात निगम, एस्सार एवं जिंदल स्टील लि० जैसी उत्पादक कम्पनियों से कय किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इसी संबंध में मोर्थ स्पेसिफिकेशन अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य उत्पादकों के अलावा अन्य स्टील उत्पादक इकाईयों से स्टील उस स्थिति में खरीदा जा सकता है जब इन इकाईयों द्वारा मुख्य स्टील उत्पादकों से कन्वर्जन एजेंट संबंधी प्रमाण–पत्र इस आशय का ले लिया गया हो कि सरिये की रोलिंग के लिये काम में ली गई बिलेट्स की आपूर्ति मुख्य स्टील उत्पादकों द्वारा ही प्राप्त की गई है एवं री–रोल्ड लोहे से सरिया उत्पादन नहीं किया जायेगा। यह कन्वर्जन एजेन्ट प्रमाण–पत्र दो वर्ष से अधिक पुराना नही हो एवं ऐसा स्टील विभाग के अन्य स्थापित माप दण्डों के अनुरूप हो एवं आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा कर लिये गये हो।

अतः तदनुसार एतद् द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये जाते हैं कि विभाग द्वारा भवन एवं पुलों के निर्माण कार्य में रिरोल्ड लोहे/स्केप से बनाये गये स्टील का उपयोग नहीं हो जिससे विभाग द्वारा बनाये गये भवन व पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

21/01/13
(आर. पी. खण्डेलवाल)
मुख्य अभियंता एवं अति० सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी– 1488 दिनांक :21.01.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. (पथ/एन.एच./एस.एस./पी.एम.जी.एस.वाई.) राज. जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी. लि., झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
7. अति० मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. सम्भाग–..............................(समस्त)।
8. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त–..............................(समस्त)/भवन/पथ/एन.एच./एस.एस./ पी.एम.जी.एस.वाई.।
9. ~~अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड~~..............................(समस्त)।

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता (भवन),
सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।